

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 19]

नई दिल्ली, अगस्त 3—अगस्त 9, 2003, शनिवार/श्रावण 12—श्रावण 18, 1925

No. 19]

NEW DELHI, AUGUST 3—AUGUST 9, 2003, SATURDAY/SRAVANA 12—SRAVANA 18, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2003

आ० अ० 48.—यतः, फरवरी, 2002 में 30-बिनावर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री मोरपाल, बगुली नगर मजरा, रफियाबाद, उत्तर प्रदेश को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन आदेश सं० 76/उ०प्र०-वि०स०/2002, तारीख 7 नवम्बर, 2002 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूं की इस रिपोर्ट के आधार पर कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए निरहित कर दिया गया था ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की यह सूचित करने वाली पश्चात्तवर्ती अनुपूरक रिपोर्ट के आधार पर कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस स्वयं प्राप्त नहीं किया था तथा नोटिस प्राप्तकर्ता श्री राकेश पाल से उनका व्यक्तिगत मनमुटाव चल रहा है और अब अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से आयोग में दाखिल कर दिया था, इस मामले पर विचार करने के पश्चात् और मामले के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री मोरपाल पर आरोपित निरहता गलत रिपोर्ट के आधार पर थी और उसे आरोपित नहीं किया जाना चाहिए था ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अधीन आयोग के तारीख 7 नवम्बर, 2002 के आदेश द्वारा श्री मोरपाल पर आरोपित निरर्हता को तारीख 16 जुलाई, 2003 से शेष अवधि के लिए हटाता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/30/2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th July, 2003

O.N. 48.—Whereas, Shri Mor Pal, Baguli Nagar Mazra, Rafiabab, (UP), contesting candidate for the General Election to Uttar Pradesh Vidhan Sabha from 30-Binavar Constituency, held in February, 2002, was disqualified by the Election Commission of India for failure to file the account of election expenses vide its order No. 76/UP-LA/2002, dated 7th November, 2002 under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for three years from the date of the order on the basis of report of District Election Officer, Badayun intimating non-submission of account of election expenses by the said candidate;

And whereas, after considering the case on the basis of District Election Officer's subsequent supplementary report, intimating that the candidate had not received the notice himself but that was received by Shri Rakesh Pal whose relations are not good with him and now the candidate had filed the account to the Commission and it is in the manner required by law and taking into account all material facts of the case, the Commission has concluded that the disqualification imposed on Shri Mor Pal was based on wrong report and that should not have been imposed.

Accordingly, Election Commission, in exercise of its powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, has, vide its order dated 16-7-2003 removed the disqualification of Shri Mor Pal imposed upon him by the Commission's Order dated 7-11-2002 under Section 10A of the said Act, for the remaining period w.e.f. 16-7-2003.

[No. UP-LA/30/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-Cum-Principal Secy. (Admn.)